न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2024-070(GCMS2024-132)

1. ओमप्रकाश पुत्र गुणेशराम जाट
2. मनमोहन पुत्र गुणेशराम जाट
3. रामनारायण पुत्र गुणेशराम जाट

निवासीगण ग्राम छापला,
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. सुरेन्द्र पुत्र पुनाराम जाट
2. करणाराम पुत्र लच्छाराम जाट
3. प्रेमकंवर पुत्री गुणेशाराम जाट
4. पानी पत्नी गुणेशाराम जाट
5. मैना पुत्री गुणेशाराम जाट
6. बालूराम पुत्र श्रीराम जाट
7. मन्दरूपराम पुत्र श्रीराम जाट
8. सूजाराम पुत्र श्रीराम जाट
9. सरूपराम पुत्र श्रीराम जाट

   निवासीगण ग्राम छापला
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
10. परमेश्वरी पुत्री पुनाराम डूडी जाति जाट

    हाल निवासी मकान संख्या बी-138,
    नई पाली रोड, कृष्णानगर, बासनी, जोधपुर
11. शाखा प्रबन्धक

    राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक
    शाखा रजलानी
12. तहसीलदार भोपालगढ

    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ दिनांक 18 अप्रेल 2024 प्रकरण संख्या 67/2024 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम सुरेन्द्र इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 12
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 26 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 67/2024 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम सुरेन्द्र आदि में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रेल 2024 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 अप्रेल 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने ग्राम छापला स्थित आराजी खसरा संख्या 432 रकबा 2.6547 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 2.5414, खसरा संख्या 523 रकबा 1.8373 हैक्टेयर, खसरा संख्या 543 रकबा 2.2339 हैक्टेयर व खसरा संख्या 849 रकबा 0.0971 हैक्टेयर बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेघाज्ञा हेतु प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेघाज्ञा जारी किये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अप्रेल 2024 को संस्थित किया गया और अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु अधिवक्ता-प्रार्थी को दस्ती जारी किये जाने के निर्देश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

देते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 30 अप्रेल 2024 मुकर्रर की गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट्स के पक्ष में बनता है। मौके पर पक्षकारान के मध्य विवाद होने तथा रेस्पो. द्वारा अजनबी केता के पक्ष में भूमि का बेचान किया जाने व भू-भाग विशेष पर कब्जा व निर्माण करने का प्रयास करने पर विचारण न्यायालय में विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा दावा पेश किया गया और मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया। संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन कब्जा अवधारित किया जाता है, ऐसी संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराये बिना किसी भी सहखातेदार को भू-भाग विशेष का बेचान अथवा हस्तान्तरण करने अथवा भू-भाग विशेष पर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता है। मगर आलौच्य मामले में रेस्पो. द्वारा किये गये बेचान के आधार पर यदि अजनबी केता वादग्रस्त भूमि के भू-भाग विशेष पर कब्जा कर अपीलाण्ट्स को बेदखल कर देते है तो निश्चय ही अपीलाण्ट्स को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होगी। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के उक्त प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेशिका दिनांक 18 अप्रेलक 2024 के जरिये विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी करते हुए आगामी तारीख मुकर्रर की गयी है। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील संधारणीय ही नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 543 के भू-भाग विशेष का रेस्पो. संख्या 1 से 9 द्वारा अजनबी केता के हक में बेचान कर दिया जाना व अजनबी केता उक्त बेचान के आधार पर वादग्रस्त आराजियात के भू-भाग विशेष पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने हेतु कटिबद्ध होना जाहिर किया गया है। जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य मौके पर स्थिति गम्भीर एवं तनावपूर्ण होने से अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत कोई त्वरित आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित है।

अतः अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का शीघ्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे। तब तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर